मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 02–08–2012 को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य–कलापों की समीक्षा संबंधी बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : (सूची संलग्न)
2. नबीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी के मेन प्लान्ट के भूमि अधिग्रहण के बारे में विस्तृत चर्चा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ की जा चुकी है तथा आवश्यक निर्देश एवं लक्ष्य दिये गये हैं जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग शीघ्र औरंगाबाद जा कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे ताकि शेष भूमि का हस्तानान्तरण अविलंब किया जा सके। नबीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी के प्रतिनिधि भी उनके साथ रहेंगे।
3. मेन प्लान्ट एरिया के तमाम भू–खण्डों का पूरा विवरण (खाता संख्या, खेसरा संख्या इत्यादि) जो कि न्यायालय में रेफर किया गया है तथा GMK भूमि जिसका रैयतीकरण किया जा चुका है, उपलब्ध कराया जाना है। जो GMK भूमि रैयतीकरण की परिधि में नहीं आता है उनका भी पूरा विवरण शीघ्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाना है।
4. LTCT के कुल 99 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटरीकरण बाकी है। इनमें 29 लघु सिंचाई विभाग से संबंधित कनेक्शन हैं जहाँ पर मीटर लगाने हेतु आवश्यक संरचना उपलब्ध नहीं है। इस तरह के सभी विद्युत संबंधों का विवरण सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड उपलब्ध करा दे, ताकि उनके द्वारा अविलंब समुचित व्यवस्था की जायगी जिससे कि मीटरों का अधिष्ठापन हो सके। शेष 70 उपभोक्ताओं का मीटरीकरण अगस्त, 2012 में किया जाना है।
5. आवश्यकतानुसार तीन फेज तथा सिंगल फेज के उपभोक्ता मीटरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है ताकि मीटरीकरण लक्ष्य के अनुसार किया जा सके।
6. दो विद्युत आपूर्त्ति अंचलों में जहाँ मीटरीकरण के लिए एजेन्सी तय नहीं किया जा सका है, उसके लिए निविदा निकाली जा चुकी है। एजेन्सी की नियुक्ति की कार्रवाई प्राथमिकता पर की जानी है।
7. 419 खराब मीटर या मीटर रहित फीडर हैं जहाँ मीटर लगाया जाना है। इसके लिए मीटर एवं मीटरिंग यूनिट हेतु क्रयादेश अगस्त, 2012 में निर्गत किया जाना है।
8. फीडरवार इनर्जी एकाउन्टिंग करने हेतु प्रत्येक विद्युत आपूर्त्ति अंचल के कुछ फीडरों का चयन किया जाना है जहाँ मीटरीकरण हो चुका है तथा उसका विवरण प्राप्त कर

हानि का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाना है। जहाँ–जहाँ फीडरवार लेजर बन चुका है उसका सत्यापन कर लिया जाना है।

9. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कुल सात स्थलों पर पावर सब स्टेशन के लिए धारा–7/17 की कार्रवाई पूरी कर ली गयी है लेकिन भुगतान नहीं करने के कारण अनापत्ति प्रमाण–पत्र जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है जिससे पावर सब स्टेशन के निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं हो सका है। उपर्युक्त स्थलों का विवरण इस प्रकार है:–

जिला		स्थान
बेगुसराय	–	1. मटिहानी
		2. सम्हा अखा खुरा
दरभंगा	–	3. गौराबरन
मुजफ्फरपुर	–	4. साहेबगंज
		5. बोचहा
वैशाली	–	6. देसरी
		7. सहदेई बुजुर्ग

संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अविलंब भुगतान की कार्रवाई कर अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना है ताकि निर्माण शुरू किया जा सके।

10. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बेगुसराय जिला के दो जगहों (डंडारी एवं साहेबपुर कमाल) एवं समस्तीपुर जिला के खानपुर के लिए धारा– 4/6 पूरा कर लिया गया है लेकिन धारा–7/17 लम्बित है। उसे जल्द पूरा किया जाना है। निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अनुश्रवण कर शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

11. ट्रान्सफर स्कीम की संचिका पर वित्त विभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी पर चर्चा की गयी। प्रधान सचिव (वित्त) ने यह स्पष्ट किया कि प्रभावी तिथि (cut off date) के पहले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के सेवा–निवृत्त कर्मचारियों एवं सेवारत कर्मचारियों का unfunded liabilities सरकार वहन करेगी तथा प्रभावी तिथि के बाद की जिम्मेदारी संबंधित कम्पनियों द्वारा वहन किया जायगा और इसे राज्य सरकार के नीति निर्देशों से आच्छादित माना जायगा। अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा यह बताया गया कि राज्य सरकार के संकल्प संख्या 3698 दिनांक 18.08.2011 की कंडिका 3 (ख) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कम्पनी यदि सेवा–शर्त्तों को पूरा नहीं करती है तो उस स्थिति में सरकार उन सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु गारण्टी देगी। साथ ही राज्य के मुख्य

सचिव के पत्रांक 231 दिनांक 20.02.2006 द्वारा राज्य सरकार ने पूर्व में यह आश्वस्त किया है कि कम्पनियाँ यदि सेवा–शर्त्तों को पूरा नहीं करती हैं, तो उस स्थिति में सरकार उन सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु गारण्टी देगी । अतः यह निर्णय हुआ कि ट्रान्सफर स्कीम की कंडिका–12 को पूर्व में राज्य सरकार के संकल्प संख्या 3698 दिनांक 18.08.2011 की कंडिका–3 (ख) में वर्णित निर्णय को वर्त्तमान संलेख में शामिल किया जाय।

12. सदस्य (वित्त एवं राजस्व), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बताया गया कि उत्तराधिकारी कम्पनियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संचरण एवं वितरण हानि एवं बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित संचरण एवं वितरण हानि के लक्ष्य के अन्तर की राशि की भरपाई एवं कार्यशील पूँजी के रूप में वित्तीय संस्थानों से ली गई ऋण की राशि एवं उस पर देय ब्याज के भुगतान की राशि, जिसे बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अस्वीकृत किया जाता है, की भरपाई के बारे में संलेख की कंडिका–18 में स्पष्ट जिक्र किया गया है। यह भी बताया गया कि इसकी भरपाई नहीं होने से नई कम्पनियाँ प्रभावी तिथि से ही घाटे में चली जायेगी। PFC Consultancy Ltd. ने भी अपने Business Plan में नई कम्पनियों को वर्त्तमान के हानि से लाभ में आने के दौरान transition अवधि (पाँच साल तक) में वित्तीय सहायता देने का जिक्र किया है। इस संदर्भ में यह निर्णय हुआ कि वित्तीय सहायता के संदर्भ में दूसरे राज्यों द्वारा अपनाये गये तरीके का भी जिक्र किया जाना है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, दूसरे राज्यों से सूचना प्राप्त कर उपलब्ध कराए ताकि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा ।

ऊर्जा विभाग उपर्युक्त बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए संचिका प्रस्तुत करे। वित्त विभाग द्वारा प्राथमिकता पर इस मामले का निष्पादन किया जाना है ताकि मंत्रिमंडल का अनुमोदन जल्द प्राप्त किया जा सके।

8/8/12

(नवीन कुमार)
मुख्य सचिव, बिहार

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्य-कलापों समीक्षात्मक बैठक ।

दिनांक : 02/08/2012

उपस्थिति :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री नवीन कुमार	मुख्य सचिव	
2	श्री ए0 के0 सिन्हा	विकास आयुक्त	
3	श्री ~~सी0 अशोक वर्द्धन~~ [illegible]	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
4	श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	
5	श्री अजय नायक	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग	
6	श्री हुकुम सिंह मीणा	सचिव-सह-निदेशक, भू-अर्जन	
7	श्री पी0 के0 राय	अध्यक्ष, बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
8	डा0 राणा अवधेश	सदस्य (प्रशासन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
9	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	सदस्य (वित्त एवं राजस्व), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
10	श्री ललन प्रसाद	सदस्य (उत्पादन), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	
11	श्री टुन टुन झा	सदस्य (संचरण), बिहार रा0 वि0 बोर्ड	2/8/2012
	शम्भु नाथ मिश्र	संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग	2/8/12
	एस. के. सिन्हा	उप महाप्रबन्धक, एन.पी.जी.सी	

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02 / बोर्ड बैठक–24 / 2009 (खंड–I) 3464 पटना, दिनांक 9/

प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/8/12

सरकार के संयुक्त सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।